16-2-22

अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2,3 के अभिभाषक उपस्थित। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र तथा बहस के आधार पर न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को रेस्टोर किया जाता है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल अपील के साथ सलग्न हो।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर